राज्यपाल सचिवालय, बिहार
(जन–सम्पर्क शाखा)
राजभवन, पटना–800022

ई–मेल–**pr.rajbhavan@gmail.com**
prrajbhavanbihar@gmail.com
मोबाईल–9431283596

प्रेस–विज्ञप्ति

राज्यपाल की अध्यक्षता में राजभवन में कुलपतियों की बैठक आयोजित हुई

पटना, 14 मार्च 2019

महामहिम राज्यपाल सह–कुलाधिपति श्री लाल जी टंडन की अध्यक्षता में आज राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक राजभवन सभागार में सम्पन्न हुई, जिसमें राज्य में उच्च शिक्षा के विकास–प्रयासों को गति प्रदान करने एवं पूर्व में लिए गये निर्णयों की कार्यान्वयन–स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने कहा कि राज्य में विश्वविद्यालयीय शिक्षा–व्यवस्था में सुधार–प्रयासों को गति प्रदान करने में किसी भी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सभी कुलपतियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पद की गरिमा के अनुरूप विश्वविद्यालयों में शिक्षण–व्यवस्था में सुधार–प्रयासों को पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और तत्परतापूर्वक कार्यान्वित करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि पिछले दिनों लिए गये महत्वपूर्ण ठोस–निर्णयों से जिन सुधारों की शुरूआत हो चुकी है, उन्हें गति प्रदान करना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने अत्यन्त संवेदनशीलतापूर्वक कुलपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी कुलपति के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए वे प्रसन्न नहीं होंगे, परन्तु अगर व्यापक शिक्षा–हित और कार्यहित में उन्हें अगर कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो वे हिचकेंगे नहीं। राज्यपाल ने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए कहा कि बापू कहते थे कि 'उनका जीवन ही उनका दर्शन' है। कुलपतियों को भी अपने पद की गरिमा के अनुरूप ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए।

राज्यपाल ने कहा कि आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के नियमित वेतन–भुगतान तथा सेवांत लाभ के मामलों के निष्पादन हेतु भी पर्याप्त राशि उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नियमित वेतन और सेवान्त लाभ के मामलों में भुगतान में अनपेक्षित विलम्ब को हरगिज नहीं बर्दाश्त किया जायेगा। राज्यपाल ने 'पेंशन अदालतें' लगाते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ सेवांत मामलों से जुड़े भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी कुलपतियों को निदेशित किया।

राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध–गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नवाचारीय प्रयोगों के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को कुछेक गाँवों को गोद लेकर वहाँ साक्षरता, नशा–उन्मूलन, दहेज प्रथा–उन्मूलन, स्वच्छता–अभियान, वृक्षारोपण, कन्या–भ्रूण हत्या–निषेध, कन्या–शिक्षा आदि सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कराने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि एन॰सी॰सी॰/एन॰एस॰एस॰ आदि के जरिये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी समाज–कल्याण एवं सरकारी विकास–योजनाओं से जुड़े कार्य गोद लिये हुए गाँवों में विशेष रूप से संचालित करा सकते हैं।

आगे पृष्ठ....2

राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि 'बायोमैट्रिक हाजिरी' व्यवस्था के उपकरणों के जरिये प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण राजभवन एवं शिक्षा विभाग के स्तर पर हो, यह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ग–अध्यापन में अनुपस्थित रहनेवाले शिक्षकों के विरूद्ध कार्रवाई को अंतिम परिणति तक पहुँचाने के लिए सभी कुलपतियों को सक्रिय होना होगा। राज्यपाल ने कहा कि 'बायोमैट्रिक संयंत्र' केवल शोभा के उपकरण नहीं होने चाहिए, उनसे अपेक्षित आँकड़े और परिणाम प्राप्त हो रहे हों, तभी संबंधित एजेन्सियों को भुगतान होना चाहिए।

राज्यपाल ने बैठक में निदेशित किया कि जो कुलसचिव या वित्तीय सलाहकार या वित्त पदाधिकारी विकास–योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमित ढंग से अडंगा लगा रहे हों, उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रस्तावित किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वित्तीय अनुशासन और प्रबंधन हर हालत में सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। राज्यपाल ने न्यायिक मामलों में भी विश्वविद्यालयों को ठीक ढंग से अपनी न्यायसंगत बातों को न्यायालयों में रखने का सुझाव दिया।

बैठक में राज्यपाल ने कहा कि यू॰जी॰सी॰ एवं अन्य सभी केन्द्रीय एजेन्सियाँ हर तरह से बिहार के विश्वविद्यालयों को मदद करने के लिए तैयार हैं और अब विश्वविद्यालयों का यह दायित्व बनता है कि वे सजगता और तत्परतापूर्वक विभिन्न केन्द्रीय एजेन्सियों एवं राज्य सरकार से अपनी जरूरतों के मुताबिक प्रशासनिक एवं वित्तीय सहयोग प्राप्त करें।

बैठक में राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि यह संतोषजनक है कि राज्य में विभिन्न विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी नवाचारीय प्रयोग कर रहे हैं।

आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 'NAAC Accreditation' (नैक प्रत्ययन) हेतु 31 मार्च, 2019 तक सभी संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय 'आल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन' (AISHE-ID) में अपना 'SSR' (Self Study Report) दाखिल करते हुए अपनी आई॰डी॰ प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि UMIS (यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम) के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सभी प्रक्रिया इस माह अविलम्ब पूरी कर ली जाएगी ताकि उसके सभी प्रमुख घटकों को शैक्षिक सत्र 2019–22 से लागू किया जा सके। बैठक में निर्णय हुआ कि मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा एवं जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, आदि में भी 'दीक्षांत समारोह' के आयोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। बैठक में यह तय हुआ कि जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बी॰आर॰ए॰ बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा मगध विश्वविद्यालय, बोधगया आदि विश्वविद्यालय शीघ्र अपनी लंबित परीक्षाएँ लेकर परीक्षाफल प्रकाशित करेंगे।

बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर॰के॰ महाजन ने कहा कि उच्च शिक्षा के विकास के लिए हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि नैक मूल्यांकन, बायोमैट्रिक हाजिरी, महाविद्यालयों के सतत् निरीक्षण, यू॰एम॰आई॰एस॰ का कार्यान्वयन, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालयों की स्थिति में सुधार, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय परिसरों का सौन्दर्यीकरण आदि कार्यों को प्राथमिकतापूर्वक कराया जाना चाहिए। उन्होंने कुलाधिपति के निदेशानुरूप विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसरों में सोलर लाईट की व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्षाजल की निकासी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया।

बैठक में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के अतिरिक्त राज्यपाल के परामर्शी (उच्च शिक्षा) प्रो॰ आर॰ सी॰ सोबती, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री सतीशचन्द्र झा, राज्यपाल सचिवालय के ओ॰एस॰डी॰ (न्यायिक) श्री फूलचंद चौधरी, संयुक्त सचिव श्री विजय कुमार सहित अन्य कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

.....